गर्भधारण एवं और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) 1994 के अंतर्गत गठित राज्य समुचित प्राधिकारी की बैठक
दिनांक 19.07.2018 का
कार्यवाही विवरण

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 के अंतर्गत गठित राज्य समुचित प्राधिकारी की बैठक दिनांक 19.07.2018 को (दोपहर 12.00 बजे) अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पी.सी.पी. एन.डी.टी. के कक्ष में डॉ. बी.एन.चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग सम्मिलित हुए। बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिए गए–

1. **राज्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24.02.2018 में दिए गए परामर्श से राज्य समुचित प्राधिकारी को अवगत् कराया गया। प्राप्त परामर्श के संबंध में प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार निर्देश/निर्णय दिए गए–**

1.1 नवीन पंजीयन search seizure, decoy operation, पंजीयन के नवीनीकरण, के संबंध में दिशा निर्देश हेतु समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी, पी.सी.पी.एन.डी.टी. को पत्र लिखे जाने हेतु निर्णय लिया गया।

1.2 PCPNDT MIS के माध्यम से पंजीयन के आवेदनों का नियमानुसार तय समयसीमा में निराकरण नहीं किये जाने के संबंध में समिति द्वारा दिए गए अभिमत के संबंध में प्राधिकारी द्वारा फार्म 'एफ' का संधारण (Submission) ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से किये जाने के संबंध में MP online से चर्चा किये जाने हेतु निर्देश दिए गए।

1.3 अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन के पंजीयन हेतु technician/retailers/distributors/manufacturersसे प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गयी। प्राधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों के सत्यापन के संबंध में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व आवेदन का संबंधित राज्य समुचित प्राधिकारी से पुष्टि अथवा राज्य समुचित प्राधिकारी से प्राप्त पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के निर्देश दिए गये।

1.4 राज्य एवं जिला सलाहकार समिति के अशासकीय सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने हेतु TA/DA के संबंध में पी.सी.पी.एन.डी.टी. सलाहकार समिति नियम 1996 के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत कर उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

2. **राज्य स्तर पर प्राप्त अपील के संबंधः–**

2.1 अपील क.पी.एन.डी.टी./एम.पी./17/02–डॉ. जी.पी.द्विवेदी, कोलार रोड, भोपाल की अपील दिनांक 5.2.17 राज्य सक्षम प्राधिकारी, पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम, के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा जिला समुचित प्राधिकारी, पी.सी.पी.एन.डी.टी.अधिनियम के आदेश कमांक 2950/स्टेनो/09, दिनांक 22.08.2009 के अधिनियम के अंतर्गत जारी पंजीयन को बिना पूर्व नोटिस को निरस्त करने के एवं अल्ट्रासाउण्ड मशीन सील करने की कार्यवाही को न्याय उचित नहीं बताया गया है। प्रस्तुत अपील के संबंध में जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी, पी.सी.पी.एन.डी.टी.से अभिमत राज्य स्तर से चाहा गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है–

- डॉ.जी.पी.द्विवेदी, के सोनोग्राफी का पंजीयन दिनांक 14.05.2002 का पंजीयन कमांक यू.एस.जी.106 के द्वारा तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया गया था। पंजीयन की वैधता 31.03.2007 तक थी।

- अधिनियम के अंतर्गत नवीनीकरण का आवेदन पंजीयन दिनांक समाप्त होने के 1 माह पूर्व प्रस्तुत करने का नियम है, परंतु डॉ. द्विवेदी, द्वारा नवीनीकरण के लिये कोई भी आवेदन समय के अंदर नहीं किया गया था।

- दिनांक 27.05.2009 के सोनोग्राफी केन्द्र की जांच कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा गठित दल द्वारा की गई थी। निरीक्षण के समय केन्द्र बंद पाया गया, परन्तु अपीलार्थी द्वारा पंजीयन समाप्त होने के दिनांक 31.03.2007 से जांच दिनांक 27.05.2009 तक न तो नवीनीकरण का आवेदन किया गया और न ही सोनोग्राफी केन्द्र बंद होने की सूचना कलेक्टर को दी गई थी। इस कारण केन्द्र का पंजीयन निरस्त करने एवं सोनोग्राफी मशीन सील करने के आदेश तत्कालीन कलेक्टर द्वारा जारी किये गये थें।

- इस संबंध में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रीवा से दिनांक 25.01.2018 द्वारा प्राप्त अभिमत निम्नानुसार है–
"उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए एवं पंजीयन नवीनीकरण का दिनांक 31.03.2007 का होने तथा मशीन प्रयोग करने के योग्य न होने के कारण पंजीयन कराया जाना उचित होगा।"

- उपरोक्त अपील के निराकरण हेतु राज्य समुचित प्राधिकारी, पी.सी.पी.एन.डी.टी. द्वारा प्रस्तुत अपील एवं जिले से प्राप्त अभिमत का विस्तृत अवलोकन किया गया एवं निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

अपीलार्थी द्वारा पंजीयन की अवधि पूर्ण होने के पूर्व जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी, जिला रीवा का पंजीयन नवीनीकरण हेतु अथवा केन्द्र का संचालन स्थगित करने के संबंध में कोई भी जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी। अतः जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी, पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम, जिला रीवा द्वारा केन्द्र के पंजीयन के निरस्तीकरण का आदेश एवं केन्द्र के विरूद्ध सील की कार्यवाही न्यायसंगत है।

इसके अतिरिक्त, नियम 19 उप नियम (2) के अंतर्गत जिला समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध राज्य स्तर पर 30 दिवसों के अंतर्गत अपील प्रस्तुत करने हेतु समयसीमा निर्धारित की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब के संबंध में कोई भी स्पष्ट/संतोषजनक आधार नहीं दिए गए है। अतएव, जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी, पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम, जिला रीवा, दिनांक 22.08.2009 स्थिर रखते हुए, नियम 19 उप नियम (2) के अंतर्गत निर्धारित समयसीमा में अपील प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपील "non-maintainable" है।

2.2 अपील कमांक पी.एन.डी.टी./एम.पी./17/03–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल के पत्र कमांक पी.एन.डी.टी./2017/14311 दिनांक 17.10.17 को यश अस्पताल, एवं डॉ. सपना दलाल, के विरूद्ध निरीक्षण प्रतिवेदन भेजा गया था। जिसमें यश हॉस्पिटल एवं पल्स हॉस्पिटल द्वारा की जा रही अवैधानिक गतिविधियों के संबंध में जांच कार्यवाही विवरण दिनांक 22.03.17 को जांच समिति के अभिमत पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन चाहा गया था। समिति द्वारा प्रकरण के तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध होना प्रतीत होने से एवं आगे गहन जांच की आवश्यकता होने के कारण प्रकरण में अनुसंधान एवं अपराध के पंजीयन कराये जाने का अभिमत दिया गया था। इस हेतु संबंधित थाने में प्रथम सूचना दर्ज कराया जाना उचित बताया गया। इसके साथ अस्पताल के नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत जारी पंजीयन को निरस्त किये जाने का अभिमत दिया गया।

इस संबंध में, राज्य समुचित प्राधिकारी द्वारा जिले स्तर से प्राप्त जांचप्रतिवेदनों का अवलोकन किया गया एवं केन्द्र के विरूद्ध पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी. अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी(पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी.एक्ट)द्वारा तत्काल नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

2.3 अपील कमांक पी.एन.डी.टी./एम.पी/16/05–डॉ. महेन्द्र कुमार पाण्डेय, जिला ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में राज्य समुचित प्राधिकारी द्वारा चर्चा की गयी। प्रकरण के तथ्य यह है कि जिला निरीक्षण दल, जिला ग्वलियर द्वारा दिनांक 9/9/2016 को अपीलार्थी द्वारा संचालित रिलायबल अल्ट्रासउण्ड सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान जिला भिंड के निरीक्षण दल द्वारा किये गये स्टिंग ऑपरेशन में सदर्भित केंद्र पर गर्भस्थ शिशु का लिंग

परीक्षण किया जाना स्पष्ट हुआ था, उक्त डिकॉय महिला का अल्ट्रासउण्ड से पूर्व न ही एफ फॉर्म भरा गया था., केन्द्र पर ए.एन.सी रजिस्टर भी संधारित नही किया गया था। संदर्भित केन्द्र पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी.एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कमांक 40 /12 हनुमान चौराह, जिला ग्वलियर हेतु पंजीकृत था। निरीक्षण के दौरान उक्त केन्द्र पंजीकृत स्थल से पृथक कॉसमो प्लाजा, जनकगंज रोड, ग्वलियर, पर संचालित होना पाया गया था जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला सक्षम प्राधिकारी (पी. सी.एण्ड.पी.एन.डी.टी) के आदेश दिनांक 27/9/2016 के द्वारा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 की धारा 20(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी द्वारा संचालित रिलायबल अल्ट्रासउण्ड का अधिनियम के अंतर्गत जारी पंजीयन कमांक 40/2012 आगामी आदेश तक निलंबित किया गया था।

पूर्व में अपीलार्थी को माननीय न्यायलय मे लंबित प्रकरण के संबध में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसके परिपालन में अपीलार्थी द्वारा प्रकरण की ऑडर शीट (माननीय सत्र न्यायलय जिला भिंड) प्रस्तुत की गई। राज्य समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही, माननीय न्यायालय के निर्णय उपरांत किये जाने के निर्देश दिए गए।

3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला आगर मालवा के पत्र कमांक पी.सी.पी.एन.डी. टी/2018/463, दिनांक 23/01/2018 द्वारा डॉ अनुज शर्मा डी.एम.आर.डी चिकित्सक के विनायक सोनो सेन्टर, छावनी आगर मालवा, जिला आगर का पंजीयन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला शाजापुर के दिनांक 18/11/2014 को रजिस्ट्रीकरण एस.आई.आर–25 के द्वारा दिनांक 18/11/2019 तक के लिये पंजीकृत किया गया था। डॉ. अनुज शर्मा डी.एम.आर.डी चिकित्सक के द्वारा सोनोग्राफी सेंटर को बंद करने एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला आगर मालवा को आवेदन प्रस्तुत किया हैं। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला आगर मालवा द्वारा आगर जिले के गठन दिनांक 16/08/2013 को हुआ जाना बताया गया है। संदर्भित केन्द्र को पी.सी.पी.एन.डी.टी अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन दिनांक 18/11/2014 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शाजापुर द्वारा जिला आगर में केन्द्र के संचालन हेतु जारी किया जाना बताया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला आगर मालवा द्वारा पंजीयन की छायाप्रति एवं संबंधित का आवेदन पत्र. संलग्न कर डॉ अनुज शर्मा का पंजीयन जारीकर्ता अधिकारी, शाजापुर के द्वारा निरस्त किया जाने, अथवा पंजीयन जिला मालवा के द्वारा किया जाने, के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया हैं।

प्रकरण के तथ्यों के समीक्षा उपरान्त राज्य समुचित प्राधिकारी,पी.सी.एण्ड.पी.एन.डी.टी द्वारा संदर्भित केन्द्र को जिला शाजापुर से प्राप्त पंजीयन को निरस्त करावाए जाने एवं नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिए जाने का निर्णय लिया गया।

डॉ. बी.एन.चौहान
अध्यक्ष,
राज्य समुचित प्राधिकारी
पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी.

उपेन्द्र कुमार सिंह
अतिरिक्त सचिव
मध्य प्रदेश शासन
विधि एवं विधायी कार्य विभाग